140

"गंगमूल" रजि न0 35 केएच दिनांक 30/01/1984

श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0

(आईएसओ 22000–2005 एण्ड एचएसीसीपी प्रमाणित संस्थान)

निविदा सूचना

संघ द्वारा विभिन्न शहरों, मण्डियों, कस्बों में दूध जांच हेतु व सरस उत्पादों के प्रचार–प्रसार के लिए टाटा एस वाहन व समकक्ष प्रति माह की दर से चलाने हेतु मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निर्धारित निविदा प्रपत्र संघ कार्यालय हनुमानगढ़ से कार्यालय समय में दिनांक 05.07.2024 को दोपहर 1 बजे तक निविदा प्रपत्र 354/– रूपए जमा करवाकर प्राप्त किये जा सकते हैं। पूर्ण भरे हुए निविदा प्रपत्र मय अमानत राशि दिनांक 05.07.2024 को दोपहर 2.30 बजे तक संघ कार्यालय (विपणन शाखा), हनुमानगढ़ में जमा करवाये जा सकेंगे, जो कि उसी दिवस दोपहर 3 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोले जावेंगे।

अमानत राशि के अभाव में निविदा प्रपत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे। किसी भी निविदा को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा। निविदा खोलने की तय दिनांक को अवकाश/राजकीय अवकाश होने पर अगले कार्यदिवस को निविदा खोली जावेंगी।

अधिक जानकारी के लिए sppp.rajasthan.gov.in अथवा 77260–07316, 83878–70308 पर सम्पर्क करें।

प्रबन्ध संचालक

क्रमांक/गंगमूल/विपणन/2024/2819-22 दिनांकः– 26.06.2024

प्रतिलिपीः–

1. प्रबन्धक प्रणाली, आरसीडीएफ0 लि0, जयपुर।
2. सम्पादक ....को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा सूचना को आप अपने दैनिक हिन्दी पत्रिका में .... स्थान में शीघ्रातिशीघ्र एक बार संघ के लोगो सहित प्रकाशित करें।
3. प्रभारी लेखा/अतिरिक्त निजी सचिव, प्रबन्ध संचालक/नोटिस बोर्ड।
4. प्रभारी (एमआईएस)– उपरोक्त निविदा सूचना को आरसीडीएफ0 लि0, जयपुर/संघ/एसपी पोर्टल वेबसाईट/अन्य दुग्ध संघों के ई–मेल पते पर अपलोड करावें।

प्रबन्ध संचालक

औद्योगिक क्षेत्र, हनुमानगढ़ जं0–335512 (राज0), दूरभाष–01552–260588, 244288, E-mail:- mktgangmul@gmail.com

Reg.No. 35KH Dated 30/1/84

Sri Ganganagar Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd.,Hanumangarh.

(FSMS ISO 22000:2005 CERTIFIED ORGANIZATION)

निविदा फार्म (TATA ACE) चल प्रयोगशाला हेतु वाहन

मूल्य – 300.00 18 प्रतिशत जी एस टी अतिरिक्त

फार्म संख्या – ....

श्रीमान प्रबंध संचालक महोदय,
गंगमूल डेयरी, हनुमानगढ ज0.।

प्रबन्ध संचालक
श्री गंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक
सहकारी संघ लि०
हनुमानगढ़ जंक्शन

निविदा देने वाले का पूरा नाम व स्थाई पता –

....

....

....मोबाईल / फोन न0...

पैन संख्या...ईमेल आईडी...

संघ कार्यालय हनुमानगढ से

निविदा प्रपत्र प्राप्त करने का समय व दिनॉक	**05.07.2024** दोपहर **1.00** बजे तक
निविदा प्रपत्र भरकर जमा करवाने का समय व दिनॉक	**05.07.2024** दोपहर **2.30** बजे तक
निविदा प्रपत्र खोलने का समय व दिनांक	**05.07.2024** को दोपहर **3.00** बजे

TATA ACE या इसमें समकक्ष वाहन या इससे बड़ा हेतु दरः–

1. वाहन का प्रकार ....
2. मॉडल व वाहन संख्या .... (छाया प्रति संलग्न)
3. दर प्रति माह फिक्स एवं 18 किलोमीटर पर एक लीटर डीजल
   अंको में ....
   शब्दों में ....

मैं प्रमाणित करता हूं कि : –

1. निविदा प्रपत्र फीस रूपये 354.00 रसीद संख्या..दिनॉक..................................
2. मैने निविदा प्रपत्र के साथ **10,000.00 रूपये** अमानत राशि डी डी /नकद की अलग अलग रसीद संख्या .... दिनांक .... द्वारा जमा करवा दिये गये है।
3. समस्त शर्ते मैनें पढ / सुन ली है एवं मुझे मान्य है।
4. उक्त दर बिना मेरी कोई शर्त मुझे मान्य है।
5. नेगोशियेशन के पश्चात .... दर प्रति किलो मीटर मुझे मान्य है।
6. उपरोक्त दरें आगामी दो वर्ष के लिये अनुबन्ध अनुसार मुझे मान्य होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदा भरते समय शर्तें

1. **TATA ACE** वाहन जो कि चल प्रयोगशाला के लिए लगाया जाना है व उसमें निम्नलिखित परिवर्तन ठेकेदार द्वारा ही कराना अनिवार्य है :—
   अ— वाहन के केबिन से पीछे की तरफ लगभग 6.25 फिट उँचाई व 4.7 फिट चौड़ाई 7 फिट लम्बाई का केबिन होना चाहिए व केबिन कन्डेक्टर साईड़ की दिवार दरवाजे युक्त अथवा ऊपर व नीचे से फोल्ड होकर खुलनी चाहिए।
   ब—केबिन के अन्दर साइड की दिवार पर कम से कम लगभग 55" कि स्मार्ट टीवी के साथ साउण्ड सिस्टम कोर्ड़ लैस माईक और इन उपकरणो को चलाने के लिए स्विच बोर्ड एवं विद्युत आपूर्ति की सुचारू व्यवस्था होनी चाहिए।
   स—केबिन की अन्दर की तरफ अनुमानित स्लेब (कम से कम 2.5 फिट) लगी होनी चाहिए जिस पर मिल्क टेस्टिंग मशीन रखी जा सके।
   द— ड्राईवर साईड केबिन की दीवार के बाहर की तरफ डिजिटल पेनल बोर्ड हो जिस से संघ द्वारा अनुमोदित विज्ञापन चलाया जावेगा व पीछे की दीवार पर विनाईल सीट से संघ का विज्ञापन करवाना होगा।
2. बिन्दु संख्या 1 में दिये गये वाहन परिवर्तनो के अलावा भी वाहन में अन्य कोई परिवर्तन अगर संघ चाहेगा तो सम्बंधित निविदादाता को कराना होगा।
3. निर्धारित निविदा प्रपत्र निविदादाता द्वारा संघ से क्रय कर संघ में जमा करवाना होगा।
4. निविदा टैन्डर नोटिस में दिये गये निर्धारित स्थान एवं दिनांक व समय को खोली जावेगी। निविदा कर्ता निविदा खोलने के स्थान पर उपस्थित रह सकेगा।
5. प्रबन्धं संचालक न्यूनतम दर पर परिवहन ठेके को दिये जाने हेतु बाध्य नही होगें। प्रबन्धं संचालक को किसी भी निविदा को स्वीकार करने, निरस्त करने का अधिकार होगा। और ठेका निरस्त करने पर किसी प्रकार का ठेकेदार को स्पष्टीकरण नही दिया जावेगा।
6. ठेकेदार को स्वंय या स्वंय के कार्यालय का पता देना होगा, जिस पर संघ द्वारा पत्र व्यवहार किया जा सके। ठेकेदार द्वारा दिये गये पते पर संघ द्वारा पत्र व्यवहार करने पर पत्र का मिलना माना जावेगा।
7. ठेकेदार द्वारा अधुरे एवं पूर्ण रूप से नही भरे हुऐ निविदा फार्म को ठेकेदार टैन्डर खुलने के समय/बाद में वापस नही ले सकेगा व निरस्त माने जावेगें।
8. बिना अमानत राशि जमा करवाये निविदा मान्य नहीं होगी एवं अमानत एवं धरोहर राशि के रूप मे जमा रकम पर कोई ब्याज देय नही होगा।
9. निविदादाता के स्वयं के नाम वाहन का पंजीकरण होना आवश्यक है। वाहन सेल लैटर या एग्रीमैन्ट टू सेल या पॉवर ऑफ अटॉर्नी मान्य नहीं होगी। निविदादाता निविदा सूचना अनुसार मॉडल का वाहन क्रय करने की 100 रूपए के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अंडर टेकिंग की स्केन्ड कॉपी (Annexure-1) बिड के साथ उपलोड करनी होगी जिस हेतु अतिरिक्त समय की मांग नहीं की जा सकेगी। संघ द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर निविदा सूचना अनुसार मॉडल का वाहन अवलोकनार्थ संघ में प्रस्तुत करना होगा।
10. वाहन के लिये निविदा प्रपत्र के साथ 10,000—00 रूपये व निविदा स्वीकृत होने के पश्चात एवं कार्य आदेश जारी होने से पूर्व 15,000—00 रूपये कुल 25,000 (पच्चीस हजार रूपये) धरोहर राशि संघ में जमा करवानी होगी।
11. दर को अंको व शब्दो में भरना होगा। दर सम्बन्धी किसी भी विवाद की स्थिति में शब्दो में लिखी गई दर मान्य होगी।
12. निविदा स्वीकृत होते ही यह माना जावेगा की निविदा दाता द्वारा निविदा शर्तो का अध्ययन कर लिया गया है तथा निविदा दाता द्वारा निविदा शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करने होगे। निविदा शर्तो में निविदा दाता को किसी भी शर्त को हटाने या जोडने का अधिकार नही होगा। यदि किसी निविदा दाता द्वारा निविदा शर्तो में किसी प्रकार का परिवर्तन / फेरबदल किया जाता है तो यह मान्य नही होगा तथा उक्त निविदादाता का टैन्डर निरस्त कर दिया जावेगा।
13. यदि वाहन साझेदारी मे हो तो किसी एक साझेदार के हस्ताक्षर करवाने चाहिये, बर्शते उसके पास पावर ऑफ अर्टोनी हो। निविदा फार्म के साथ साझेदारी डीड सलंग्न करनी होगी। साझेदारी डीड के अभाव में टैन्डर स्वीकार नही किया जावेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

14. दो न्यूनतम दरों वाले निविदादाताओ की अमानत राशि संघ द्वारा रोकी जावेगी। द्वितीय न्यूनतम दर वाले निविदादाता की संघ मे जमा राशि प्रथम न्यूनतम दर वाले वाहन पथ मे लगने के उपरान्त ही लौटाई जा सकेगी।
15. पूर्व में यदि किसी वाहन ठेकेदार का कार्य सन्तोषजनक नही रहा है या ब्लैक लिस्ट घोषित किया गया है तो निविदा स्वीकृत नही की जावेगी।
16. किसी कारणवश से अगर पूर्व में वाहन को हटाया गया, बीच अवधि में अनुबंध निरस्त किया गया, संघ को कोई भी हानि पहुँचाने की कोशिश की गई, संघ के किसी अधिकारी या कर्मचारी के साथ अभ्रद व्यवहार जैसा कृत्य किया गया है तो ऐसी स्थिति में उसकी निविदा अस्वीकृत की जावेगी ।
17. अगर कोई वाहन ठेकेदार नया वाहन लगाना चाहता है तो अपना आवेदन निविदा पत्र के साथ प्रस्तुत कर सकता है, किन्तु निविदा स्वीकृत होने के पश्चात दिये गये समय पर नया वाहन मय आर. सी. प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा जमा अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
18. अगर परिवहन ठेकेदार के संघ में चार से अधिक वाहन अनुबंधित है तो वह निविदा नहीं भर सकेगा, अन्यथा बाद में अतिरिक्त वाहन होने पर भी वाहन हटाया जा सकेगा।
19. परिवहन ठेकेदार को 500/- रूपये के नोन जूडिसियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा।
20. निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त निविदादाता को औपचारिकताऐं पूर्ण करने हेतु अधिकतम एक माह तक का समय दिया जायेगा।
21. निविदादाता को पैन कार्ड, आधार कार्ड की छायाप्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी।
22. वाहन का मॉडल सन 2021 से पूर्व का नही होना चाहिए।

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदा शर्ते

1. ठेका अवधि कार्य प्रारम्भ करने की दिनांक से दो वर्ष तक मान्य होगा, विशेष परिस्थितियों में संघ द्वारा 3 माह के लिये अवधि बढाई जा सकती है, जो ठेकेदार को मान्य होगी।
2. निश्चित समय में स्वीकृत दर पर कार्य प्रारम्भ नही करने पर अमानत राशि जब्त कर L2 को ठेका दिया जा सकेगा।
3. ठेका समाप्त होने पर बकाया नही प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही अन्तिम बिल का भुगतान व धरोहर राशि लौटाई जावेगी।
4. ठेकेदार के किसी भी प्रकार की वसूलियों को ठेकेदार के बकाया बिल से या धरोहर राशि / सम्पत्तियों से वसूल करने का पूर्ण अधिकार संघ को होगा एवं ठेकेदार के कर्मचारी या प्रतिनिधि द्वारा की गई गलती हेतु वाहन ठेकेदार स्वंय जिम्मेवार होगा।
5. अगर ठेकेदार द्वारा ठेका बीच में छोड दिया जाता है तो उसकी धरोहर राशि एवं अन्य बकाया राशियां जब्त कर ली जावेगी।
6. कार्यालय की बिना अनुमति के ठेकेदार अपना ठेका दूसरे ठेकेदार को ट्रांसफर नही कर सकेगा। विशेष परिस्थितियों में ठेका 2000/– रूपये स्थानांन्तरण शुल्क जमा करवा कर ही स्थानान्तरित किया जा सकेगा।
7. प्रत्येक वाहन हेतु निविदा प्रपत्र के साथ 10,000–00 रूपये (दस हजार रूपये) व कार्य आदेश जारी होने के पश्चात 15,000–00 रूपये (पन्द्रह हजार रूपये) कुल 25,000--00 रूपये (पच्चीस हजार रूपये) धरोहर राशि संघ में अलग अलग जमा करवानी होगी।
8. वाहन में डीजल की व्यवस्था हेतु ठेकेदार स्वंय जिम्मेवार होगा।
9. वाहन में अनाधिकृत व्यक्ति / सवारियां / माल लाने पर चैकिंग के समय रूपये 100 /– प्रति सवारी जुर्माना किया जावेगा।
10. किसी भी शर्त का उल्लघन या कार्यालय / समिति के कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार अथवा आदेश की अवहेलना करने पर न्यूनतम 500 रूपये तक आर्थिक दण्ड एवं ठेका समाप्त करने का अधिकार संघ को होगा।
11. खडी गाडी का कोई किराया / किलोमीटर देय नही होगा संघ को वाहन की आवश्यकता नही होने पर 15 दिवस पूर्व नोटिस दिया जावेगा व अनुबंध बीच में निरस्त किया जा सकेगा।
12. दो न्यूनतम दरों वाले निविदा दाताओं की अमानत राशि रोकी जावेगी एवं प्रबंन्ध संचालक न्यूनतम दर स्वीकृत करने के लिये बाध्य नही होंगें।
13. ठेकेदार को संघ का नोमिनल सदस्य बनना होगा जो कि संघ में 100 रूपये जमा करवाकर बनेगा, जिस पर ठेकेदार को एतराज नही होगा।
14. वाहन का माईलोमीटर सही एवं कार्यशील होना चाहिये।
15. बिना पूर्व सूचना के वाहन निर्धारित समय से आधा घण्टा लेट लाने की स्थिति मे 100 रूपये जुर्माना व वाहन न भेजने की स्थिति मे 1,000/– रूपये प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना किया जावेगाएवं संघ द्वारा जो व्यवस्था की जावेगी उसकी राशि भी ठेकेदार से वसुल की जावेगी ।
16. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वाहन ठेकेदार को दुर्घटना बीमा की व्यवस्था अपने स्तर पर करवानी होगी एवं बीमा पत्रो की फोटो कापी संघ कार्यालय मे देनी होगी। बीमा पूरी अनुबन्ध अवधि में होना आवश्यक है । बीमा के अभाव में संघ या संघ स्टाफ को किसी भी प्रकार की होने वाली हानि के लिए ठेकेदार जुम्मेवार होगा एवं हानि ठेकेदार से वसुल की जावेगी ।
17. वाहन ठेकेदार को भुगतान हेतु बिल प्रिटेड स्वीकृत प्रारूप में हर माह में दो बार दिनांक 1 से 15, 16 से 30/31 तक तीन प्रतियों में निर्धारित समय में देना होगा।
18. डीजल की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं को करनी होगी । संघ द्वारा 18 किलोमीटर पर एक लीटर डीजल की राशि का भुगतान पाक्षिक रूप से बिल प्रस्तुत करने पर ठेकेदार को किया जावेगा।
19. डीजल दर का भुगतान प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ में प्रचलित डीजल दर अनुसार किया जावेगा। ठेका प्रारम्भ होने पर निविदा भरने की अंतिम तिथि को डीजल की दर को आधार मानकर प्रथम बार डीजल दर में संशोधन किया जावेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

20. किसी भी प्रकार का जी0एस0टी0, टोल टैक्स / राहगीरी लगती है तो उसका भुगतान संबंधित ठेकेदार द्वारा ही किया जायेगा एवं उसकी समस्त जुम्मेवारी ठेकेदार की होगी एवं संघ द्वारा कोई पुनर्भरण नहीं किया जायेगा।

21. किसी भी समिति / केन्द्र के अध्यक्ष / सचिव एवं संचालक मण्डल के सदस्य तथा गंगमूल के स्थायी कर्मचारी का स्वयं का या पारिवारिक सदस्य का वाहन नहीं होना चाहिए। ऐसा ज्ञात होने पर अनुबंध अवधि के दौरान भी वाहन को हटाया जा सकता है।

22. किसी भी परिवहन ठेकेदार के संघ में चार से अधिक वाहन अनुबंधित नहीं होने चाहिए, अन्यथा पता चलने पर अतिरिक्त वाहनों को हटाया जा सकेगा।

23. यदि ठेकेदार के किसी कृत्य से संघ की साख / हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है तो ठेकेदार की संघ में जमा अमानत राशि / धरोहर राशि व बकाया परिवहन बिलों की राशि जब्त करते हुए ठेका निरस्त करने का अधिकार संघ को होगा एवं ठेकेदार का नाम काली सूची में डाला जा सकेगा।

24. वाहन पर जीपीएस सिस्टम लगवाना होगा। वाहन ठेकेदार द्वारा जीपीएस सिस्टम को सुचारू रूप से चालु रखना आवश्यक होगा।

25. अगर संघ के कार्य हेतु वाहन राजस्थान से बाहर अन्य राज्य में ले जाया जाता है तो लगने वाले प्रवेश / रोड टैक्स का भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जावेगा, जिसका पुनर्भरण संघ द्वारा ठेकेदार को परिवहन बिल के साथ मूल रसीद सलंग्न करने पर ही देय होगा।

26. संघ से अनुबंधित वाहन (चल प्रयोगशाला) को अनुबंध अवधि में अन्य कही प्रयोग मे नही लिया जावेगा। अगर ऐसा पाया जाता है तो 1000 रू की शास्ती लगाई जा सकती है या अनुबंध निरस्त भी किया जा सकता है।

27. संघ निर्देशानुसार चल प्रयोगशाला को निरधारित स्थान पर ले कर जायेगा जिसका आने व जाने का माईलो मीटर रिडिंग संघ सयंत्र के मुख्य गेट पर व प्रथक रूप से लॉग बुक लगाकर रिडिंग नोट कर सम्बंधित अधिकारी कर्मचारी से प्रमाणित करवाकर पाक्षिक बिल के साथ प्रस्तुत करेगा।

निविदादाता का पूरा नाम..

स्थाई पता :–..

....

हस्ताक्षर

वाहन कय कर लगाने हेतु Annexure–1

(प्रारूप शपथ पत्र 100 रूपए के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर देय होगा)

मैं/ हम .... पुत्र श्री.. निवासी ....शपथपूर्वक घोषणा करता हूं/हैं, कि संघ द्वारा सफल निविदादाता घोषित किये जाने पर मैं/हम संघ द्वारा वांछित मॉडल **TATA ACE** वाहन निर्धारित समय अवधि में उपलब्ध करा दूंगा/करा देंगे अन्यथा मेरी/ हमारी अमानत राशि संघ द्वारा जब्त कर ली जावे।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता
(निविदादाता)